झअनुसूची 14—फारम सं०—562।

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक—1941 का नियम 129)

आदेश—पत्रक — ....ता०...............................से.......................................तक

जिला— लखीसराय, संख्या :-48 / 2015—16 सन् ....

केश का प्रकार :— समपहरण वाद, राज्य बनाम रामजतन सोनार, पे0—स्व0 विशुन साह, सा0—नया बाजार, लखीसराय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
9.11.15	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक—643/आ0 दिनांक—03.11.2015 द्वारा कवैया थाना कांड सं0—695/15 दिनांक—26.10.2015 के अंतर्गत जप्त घरेलू गैस सिलेन्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6A के तहत समपहरण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री मनोज कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय के आवेदन में उल्लेख है कि दिनांक—26.10.2015 को संध्या 06:00 बजे अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय के नेतृत्व में लखीसराय शहरी क्षेत्र के अंतर्गत बाजार समिति के गेट के पास नेत्रलोक अस्पताल के सामने रामजतन सोनार, नया बाजार लखीसराय को अवैध घरेलू गैस सिलेन्डर से छोटे—छोटे गैस सिलेन्डर में गैस भरने इत्यादि कार्य करते पाया गया, मौके पर एक ग्राहक राकेश कुमार, पिता—मनोज वर्मा, सा0—चेवाड़ा, जिला—शेखपुरा गैस भराने के लिए आया हुआ था। उसने बताया कि विक्रेता 70 रू0 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से गैस भरता है। राकेश कुमार का बयान भी अभिलेखबद्ध है। जाँच के क्रम में विक्रेता के दुकान में एक प्लास्टिक पाईप में जिसके एक छोड़ पर रेगुलेटर एवं दूसरे छोड़ पर एक नेपुल लगा पाया गया। इससे स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डर 14.2 से छोटे—छोटे लोकल सिलेन्डर में गैस भरने का कार्य करता है। जब्त गैस सिलेन्डर एवं अन्य सामग्री को कवैया थाना की अभिरक्षा में रखा गया है। स्पष्ट है कि बिक्रेता अवैध रूप से भंडारण एवं क्रय—बिक्रय का कार्य करता है, बिक्रेता का कृत कार्य अवैध है। अतः रामजतन सोनार, पे0—स्व0 विशुन साह, सा0—नया बाजार, लखीसराय को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धारा—7 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा किया गया है उपर्यक्त तथ्य जो संलग्न प्राथमिकी के आधार पर जप्ती सूची तथा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय की अनुशंसा पर सामने आये हैं, यह स्पष्ट है कि नामजद अभियुक्त रामजतन सोनार, पे0—स्व0 विशुन साह, सा0—नया बाजार, लखीसराय द्वारा The Prevention of Black Marketing Maintainance of Supply Essential Commodity Act. 1980 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया जाना प्रमाणित है। चूँकि जप्त घरेलू गैस नष्ट न हो, अतः अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को EC Act. 1955 amended Bihar Act. 9 of 1978 के 6(A)(2) के तहत आदेश दिया जाता है कि जप्त घरेलू गैस को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करते हुए प्रतिवेदन दें। पुनः आदेश दिया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	धारा 6(B) के तहत अभियुक्त को नोटिश निर्गत करें कि क्यों नहीं जप्त घरेलू गैस, आवश्यक वस्तु अधिनियम 6(A) के तहत समपहरण कर ली जाय। आदेश की प्रति अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय तथा थाना प्रभारी, कवैया को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। अभिलेख दिनांक- 25-11-15 को उपस्थापित करें। 09/11/15 जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। ज्ञापांक-...1014.........विधि, दिनांक-09-11-15 प्रतिलिपि :- अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय तथा थाना प्रभारी, कवैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, लखीसराय/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 09/11/15 जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	

561 सूचना विज्ञान